न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 69/21

दुर्गा देवी पत्नी हनुमान सिंह जाति खारवाल निवासी वार्ड न. 21, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री सुरेन्द्र सुथार
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक: 02.03.2022

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 जिसके द्वारा अपीलांट की सास चुन्नी पत्नी पाबूदान जाति खारवाल का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 485/19 का 3.795 है0 टी.सी. आवंटित रकबा शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2006 अपीलांट की सास को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर अपीलांट की सास का 48 वर्षो पुराना टी.सी.आवंटन अपने ही कयासो के आधार पर मृतक के विरूद्व निर्णय करके टी.सी. आवंटन खारिज कर दिया। अपीलान्ट की सास को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत सन 1972–73 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन सें लेकर लगातार नवीनीकरण होता रहा तथा अपीलांट सास के फौत हो जाने के पश्चात यह रकबा अपीलांट की जायज वारिस होने नाते अपीलांट के नाम पर टीसी आवंटन दर्ज हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.3.1999 को अपीलांट के नाम से कमांक /भू.अ./99/2126 दिनांक 18.3.1999 से नवीनीकरण कर रकम कायम कर दी थी। तत्पश्चात उक्त रकबा की रकम प्रार्थीया जमा करवाती आ रही थी। जिसकी रसीदों की फोटोप्रतियां पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.08.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के दादा के नाम का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर उक्त टी.सी. आवंटित रकबा खारिज फरमा दिया गया व कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नही लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की सूचना अपीलांट को नही दी। मातहत न्यायालय ने अपीलांट की सास के नाम का उक्त टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांट की सास चुन्नी के नाम से आवंटित उक्त रकबा शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र से 2 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट की सास के नाम से आवंटित रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की सास के नाम से आवंटि उक्त टीसी रकबा का समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा अपीलांट सास के जीवन काल में अपीलांट की सास का तथा उसके बाद जायज वारिस अपीलांट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट की सास के नाम से आवंटित उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर अपीलांट की सास के जीवन में अपीलांट की सास का तथा उनकी मृत्यु उपरांत उसकी जायज वारिस होने के नाते अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्वति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश न्यायोचित निर्णय की परिभाषा में नही आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेंड प्रर्फोमा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नही किया गया। उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2006 निरस्त फरमाया जावें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार उपस्थित हुए तथा पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्व दिनांक 31.08.2006 पारित किया है, क्योंकि अपीलांट की सास चुन्नी देवी की मृत्यु दिनांक 18.8.1993 को हो चुकी थी। इस रकबा पर अपीलांट मृतक चुन्नी की जायज वारिस होने से टीसी नवीनीकरण अपीलांट के नाम दर्ज हो जाने से टीसी आवंटी की हैसियत से काबिज होकर काश्त करती आ रही है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनें, बिना साक्ष्य के अपीलांट की सास के नाम की आवंटित 48 वर्ष पुरानें टी. सी. आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1999 पेज 346 व आरबीजे 2001 पेज 133, में मियाद का प्रश्न निर्णय की जानकारी के पश्चात उठता है। आरआरटी 2008 (2) पेज 1216, आरबीजे 2013 पेज 226, आरआरटी 2017 पार्ट–I पेज 125 (एचसी) में यह माना है कि एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश शुरू से ही शून्य हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अनवान देवीलाल चर्तुवेदी बनाम फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय शुरू से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा अपीलांट की सास के फौत होने के पश्चात जायज वारिस की हैसियत से अपीलांट का कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की सीमा परिधि से 2 किमी से ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.

तिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

सी. सीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकेशन नं. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (1) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया। जिनमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने टीसी आवंटन निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार का ना मानकर निगरानियां स्वीकार की है। अपीलांट मृतक चुन्नी देवी की जायज वारिस है तथा अपीलांट के नाम उक्त रकबा की रकम भी कायम हो चुकी है तथा अपीलांट उक्त रकबा की खातेदारी प्राप्त करने की व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का कानूनी हकदार है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्ध पारित किया है अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.08.2006 खारिज किया बाबत निवेदन किया।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेराफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते तथा ना ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट मृतक चुन्नी की जायज वारिस है तथा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.3.99 को अपीलांट के नाम नवीनीकरण स्वीकार कर रकम कायमी के आदेश भी जारी कर दिये है इसलिए अपीलांट हितबद होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का रेस्पोडेंट ने कोई विरोध नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है। ऐसे निर्णय को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 31.08.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 485/19 की 3.795 है0 बारानी भूमि मृतक चुन्नी पत्नी पाबूदान जाति खारवाल को टी.सी. आवंटन हुई थी व चुन्नी के फौत होने पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.3.99 को उक्त रकबा के अपीलांट के नाम नवीनीकरण कर रकम कायमी का आदेश पारित किया जा चुका है तथा उक्त टीसी आवंटन संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए अपीलांट की सास के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (I)रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117 तथा आरबीजे 2013 पेज 226 व आरआरटी 2017 पार्ट–1 पेज 125 (एचसी) का अवलोकन किया गया जिनमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने टीसी निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को ना होकर जिला कलक्टर को होना माना है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का टीसी आवंटन तहसीलदार सूरतगढ़ ने निरस्त किया है, जो पूर्णतः क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते है, इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.08.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)